14-5-24

पत्रावली पेश। न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगवाई गई, परंतु प्रार्थी व उसके अधिवक्ता कोर्ट उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली उक्त पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।